वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21

संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय वस्तु

अध्याय संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-3
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	3
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	4-6
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	4
	(ख) सत्र	4
	(i) बुलाया जाना	4
	(ii) सत्रावसान	5
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सत्रहवीं लोक सभा)	6
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	7-12
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	7
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	7-8
	(ग) अध्यादेश	8-9
	(घ) राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2020 तक प्रख्यापित अध्यादेश	9-12
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और समय का वितरण**	13-18
	(क) सरकारी कार्य	13
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	13-14
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	14
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	15
	(i) विधायी	15
	(ii) वित्तीय	15
	(iii) बजट	15
	(ङ.) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	15-16
	(च) स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प........	16
	(छ) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	16
	(ज) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	17
	(झ) अन्य गैर-सरकारी कार्य	17
	(ञ) बैठकों की संख्या	17-18
अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	19-23
	(क) लोक सभा	19
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	19
	(ख) राज्य सभा	19
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	19

	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	20
	(iii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	20
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख...	20
	(घ) दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.........	21
	(ङ) दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	21
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2020 तक पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	22
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प....................	23
अध्याय-6	**आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण**	24-26
	(क) सामान्य प्रक्रिया	24
	(ख) लोक सभा	25
	(ग) राज्य सभा	26
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	26
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	26
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	27-29
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले....................	27
	(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख	27
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	28
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	28-29
अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	30-32
अध्याय-9	**संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान**	33-34
	(क) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन..	33
	(ख) संसद सदस्यों के विदेश दौरे..	33
	(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	33-34
	(ङ.) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	34
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	35-38
	(क) प्रस्तावना	35
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	35
	(i) 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन....	35
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता....................	35
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	36

	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता..........................	36
	(i) विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम.........................	36
	(ii) विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन..	36
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	37
	(छ) "राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल का शुभारंभ.............................	37-38
अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	39-40
	(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति...	39
	(ख) हिंदी सलाहकार समिति	39
	(ग) हिंदी पखवाड़ा..	39-40
अध्याय-12	**राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**	41-54
	(क) प्रस्तावना...	41-42
	(ख) नेवा की मुख्य विशेषताएं...	42-43
	(ग) योजना का लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना...	43-44
	(घ) सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल का विकास...	44-48
	(i) मास्टर डाटा..	44
	(ii) प्रयोगकर्ता प्रबंधन..	44
	(iii) मोबाइल एप्लिकेशन..	45
	(iv) विभाग लॉगिन रिप्लाई..	45
	(v) विधेयक प्रबंधन प्रणाली..	45
	(vi) कार्यसूची...	46
	(vii) रिपोर्टर माड्यूल..	46
	(viii) समिति प्रबंधन प्रणाली...	46
	(ix) प्रश्न संसाधन..	47
	(x) डिजिटल सदन...	47-48
	(ङ) वेबिनार्स - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण...	48-49
	(च) राज्यों में नेवा..	49-50
	i. अरूणाचल प्रदेश..	50
	(छ) प्रधानमंत्री का नेवा को अपनाने का आग्रह..	50-51
	(ज) राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नेवा का उल्लेख किया..	51-52
	(झ) नेवा के कार्यान्वयन की रीति - अधिकारप्राप्त समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी...	52
	i. समझौता ज्ञापन...	53
	ii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट...	53
	iii. निधियों की मंजूरी..	53-54

अध्याय-13	**सामान्य**	55-61
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन..	55
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	55
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई................................	55
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन.......................................	56
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई..............	56
	(च) नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	57
	(छ) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन...	57
	(ज) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में अभिविन्यास पाठ्यक्रम..	57
	(झ) संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं..	57-58
	(i) संसद सदस्यों का कल्याण...	57-58
	(ii) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रिभोज की व्यवस्था	58
	(iii) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य..............................	58
	(ञ) संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क.....................	58-59
	(ट) अनुसंधान कार्य..	59-60
	(ठ) बजट की स्थिति...	60-61
	(ड) लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति..............................	61
	(ढ) दिव्यांगजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप.................................	61
	(ण) संविधान दिवस समारोह..	61

<u>परिशिष्ट</u>

परिशिष्ट संख्या	नाम	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	63
परिशिष्ट-2	दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	64-66
परिशिष्ट-3	17वीं लोक सभा के चौथे सत्र और राज्य सभा के 252वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित विधेयकों की सूची	67-68
परिशिष्ट-4	01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	69-71
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	72-73
परिशिष्ट-6	दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	74
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश	75-80
परिशिष्ट-8	17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	81-82
परिशिष्ट-9	वर्ष 2020 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	83-85
परिशिष्ट-10	1 से 14 सितंबर, 2020 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण	86
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	87
परिशिष्ट-12	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	88-89
परिशिष्ट-13	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	90-94
परिशिष्ट-14	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	95-96

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था जो बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए "भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961" के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू पारण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 38 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्‌यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्‌यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्‌यालयों; जवाहर नवोदय विद्‌यालयों और विश्वविद्‌यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ऑफलाइन मोड की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, हाल ही में, भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - "संविधान दिवस" मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्‌वारा माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब पोर्टल का उद्‌देश्य देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्‌देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्‌वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्‌वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं:-

1.	श्री प्रल्हाद जोशी, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 30.05.2019 से आगे।
2.	श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

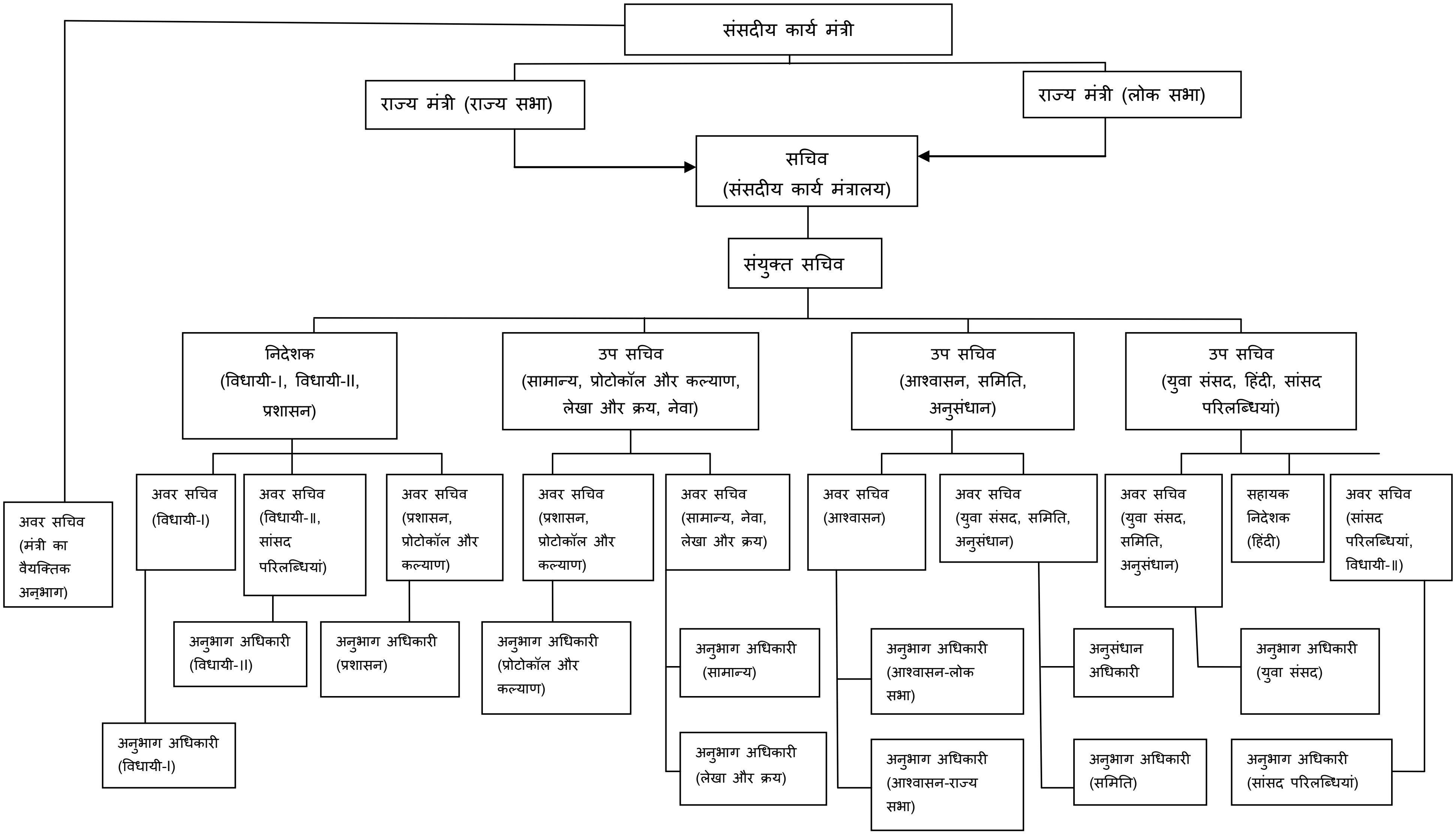

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

<u>**एक झलक**</u>

- दिनांक 1.1.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान दो सत्रों (बजट सत्र और मानसून सत्र) में लोक सभा और राज्य सभा दोनों की 33-33 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के दो सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
तीसरा	31 जनवरी, 2020 से 23 मार्च, 2020	23	53
चौथा	14 सितंबर, 2020 से 23 सितंबर, 2020	10	10
राज्य सभा			
251वां	31 जनवरी, 2020 से 23 मार्च, 2020	23	53
252वां	14 सितंबर, 2020 से 23 सितंबर, 2020	10	10

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
तीसरा	23 मार्च, 2020	29 मार्च, 2020
चौथा	23 सितंबर, 2020	30 सितंबर, 2020
राज्य सभा		
251वां	23 मार्च, 2020	29 मार्च, 2020
252वां	23 सितंबर, 2020	30 सितंबर, 2020

2.4 मानसून सत्र, 2020 (कोविड-19 महामारी के बीच)

(क) अनुच्छेद 85 की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा आवश्यक विधायी और अन्य कार्य का निष्पादन करने के लिए, संसद का मानसून सत्र, 2020 बैठने और संभार तंत्र संबंधी असाधारण व्यवस्था करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किया गया था।

(ख) लोक सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा दर्शक दीर्घा, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया गया जबकि राज्य सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा दर्शक दीर्घा और लोक सभा कक्ष का इस्तेमाल किया गया था।

(ग) लोक सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं। 14 सितंबर, 2020 को लोक सभा की बैठक सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक हुई थी। राज्य सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं। 14 सितंबर, 2020 को राज्य सभा की बैठक दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे तक हुई थी।

(घ) संसद का मानसून सत्र, 2020 यद्यपि 1 अक्तूबर, 2020 को समाप्त होना नियत था, परंतु कोविड-19 महामारी के जोखिम के कारण अत्यावश्यक कार्य के निष्पादन के पश्चात लोक सभा और राज्य सभा को 23 सितंबर, 2020 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था जिसमें 10 दिनों की अवधि के दौरान कुल 10 बैठकें हुई थी।

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सत्रहवीं लोक सभा)					
लोक सभा	**मतदान की अंतिम तारीख**	**गठन की तारीख**	**पहली बैठक की तारीख**	**कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]**	**भंग होने की तारीख**
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.2019	16.06.2024	----

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक जिन मामलों का अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कलैंडर वर्ष 2020 के पहले सत्र के आरंभ में **31 जनवरी, 2020** को अभिभाषण दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सत्रहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री प्रवेश वर्मा (प्रस्तावक) श्री राम कृपाल यादव (अनुमोदक)	3 और 4 फरवरी, 2020 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 251वां सत्र	
श्री भुपेन्द्र यादव (प्रस्तावक) डॉ. सुधांशू त्रिवेदी (अनुमोदक)	3, 4 और 5 फरवरी, 2020 (स्वीकृत)

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के

अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभावी हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, 14 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। 12 अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। अध्यादेशों के प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	**अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख**	**सभा पटल पर रखने की तारीख**		**अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुर:स्थापन**	**विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें**		**स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या**
		लोक सभा	**राज्य सभा**		**लोक सभा**	**राज्य सभा**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 1)	31.01.20	31.01.20	02.03.2020	06.03.20	12.03.20	2020 का 2 13.03.2020
2	कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 2)	14.09.20	14.09.20	18.09.2020	19.09.20	22.09.20	2020 का 38 29.09.2020
3	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 3)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	15.09.20	18.09.20	2020 का 19 24.09.20

4	मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 4)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	20.09.20	18.09.20	2020 का 18 23.09.2020
5	महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 5)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	21.09.20	19.09.20	2020 का 34 28.09.2020
6	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 6)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	21.09.20	18.09.20	2020 का 24 25.09.2020
7	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 7)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	21.09.20	18.09.20	2020 का 25 25.09.2020
8	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 8)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	15.09.20	22.09.20	2020 का 22 26.09.2020
9	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 9)	14.09.20	14.09.20	15.09.2020	21.09.20	19.09.20	2020 का 17 23.09.2020
10	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 10)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	17.09.20	20.09.20	2020 का 21 24.09.2020
11	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 11)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	17.09.20	20.09.20	2020 का 20 24.09.2020
12	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 12)	14.09.20	14.09.20	14.09.2020	16.09.20	22.09.20	2020 का 39 29.09.2020
13	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 13)						
14	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 14)						

3.8 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2020 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	**प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या**	**वर्ष**	**प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या**
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09

1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16
2020	14		

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)

चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)

सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 30 मई, 2019 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

<u>एक झलक</u>

- वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्‌वारा 39 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्‌वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी एक बैठक 23 जनवरी, 2020 को बजट सत्र, 2020 से पहले और दूसरी बैठक 2 सितंबर, 2020 को मानसून सत्र, 2020 से पहले आयोजित की गई जो कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह

तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी दो बैठकें आयोजित की गई - एक बैठक 27 जनवरी, 2020 को बजट सत्र, 2020 से पहले और दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 सितंबर, 2020 को मानसून सत्र, 2020 से पहले। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 30.01.2020 को विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की दो अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा हेतु भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में तीन वक्तव्य और राज्य सभा में तीन वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमश: 38 और 42 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 116 मदों (लोक सभा - 60, राज्य सभा - 56) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सत्रहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 250वें सत्र की समाप्ति पर कुल 41 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 32 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 41 विधेयक (34 विधेयक लोक सभा में और 7 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए, जिससे लंबित विधेयकों की कुल संख्या 82 हो गई। इनमें से दोनों सदनों द्वारा 39 विधेयक (**परिशिष्ट-2**) पारित किए गए। 7 विधेयक (4 विधेयक लोक सभा में और 3 विधेयक राज्य सभा में) वापस लिए गए। सत्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र और राज्य सभा के 252वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 36 विधेयक (लोक सभा में 6 विधेयक और राज्य सभा में 30 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों, सदनों में प्रस्तुत किए गए और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें भेजे गए मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और मूल दीर्घकालीन नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, केंद्रीय बजट (रेल सहित) पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव

का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्रस्तुत, विचार और स्वीकृत किए गए सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विषय	**तारीख (तारीखें)**	**लोक सभा**		**तारीख (तारीखें)**	**राज्य सभा**	
		लिया गया समय			**लिया गया समय**	
		घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
-	-	-	-	-	-	-

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**मद**	**लोक सभा**		**राज्य सभा**		**प्रतिशत**	
		घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	**लोक सभा**	**राज्य सभा**
(i)	विधायी	57	32	40	56	34.37%	31.42%
(ii)	वित्तीय	47	48	22	01	28.45%	17.05%
(iii)	गैर-वित्तीय	62	04	66	50	37.18%	51.53%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	**बैठक का कुल वास्तविक समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत**
	घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	
तीसरा (17वीं लोक सभा)	109	17	34	21	31.43%
चौथा (17वीं लोक सभा)	58	07	03	03	5.24%
कुल	167	24	37	24	22.34%
राज्य सभा					
251वां	90	19	38	23	42.49%
252वां	39	28	03	15	8.23%
कुल	129	47	41	38	32.07%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। लोक सभा में 2 और राज्य सभा में 1 अल्पावधि चर्चा हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या
(वर्ष 1952 से 2020 तक)

वर्ष	**बैठकों की संख्या**		**संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक**	**वर्ष**	**बैठकों की संख्या**		**संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक**
	लोक सभा	**राज्य सभा**			**लोक सभा**	**राज्य सभा**	
1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38

1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49
2020	33	33	39				

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गईः-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	श्री अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति का मामला उठाया।	गृह	11.03.2020	04 - 37 (चर्चा पूरी हुई)	
2	श्री अधीर रंजन चौधरी की ओर से डॉ. शशि थरूर ने देश में कोविड-19 महामारी का मामला उठाया।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	20.09.2020	05 - 58 (चर्चा पूरी हुई)	

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा। (श्री कपिल सिबल)	गृह	12.03.2020	03 - 43 (चर्चा पूरी हुई)	

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
-	-	-	-	-	

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		
			घंटे		मिनट
1.	रेल	16.03.2020 17.03.2020	05	-	33
2.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	18.03.2020 19.03.2020	03	-	47
3.	विधि और न्याय	19.03.2020	01	-	05

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकें की:-

क्र.सं.	संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की तारीख	प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया
1.	26.03.2020	(i) बजट सत्र, 2020 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुसमर्थन।
2.	19.08.2020	(i) मानसून सत्र, 2020 का बुलाया जाना।
3.	24.09.2020	(i) मानसून सत्र, 2020 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान।

5.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 17 विधेयक (0 विधेयक लोक सभा में और 17 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
--			
राज्य सभा			
1.	राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली वित्तीय सेवाओं, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश (विनियमन) विधेयक, 2018 (श्री नरेन्द्र जाधव, संसद सदस्य)	06.12.2019 07.02.2020 13.03.2020	वापस लिया गया
2.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2014 (प्रो. एम.वी. राजीव गौडा)	27.07.20219 22.11.2019 06.12.2019 13.03.2020	वापस लिया गया

दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण।	21.06.2019 28.06.2019 19.07.2019 29.11.2019 20.03.2020	वापस लिया गया
2.	श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय।	20.03.2020	अनिर्णीत
राज्य सभा			
1.	श्री बिनोय विस्वम, संसद सदस्य द्वारा देश में शिक्षित नागरिकों में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने के लिए भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में एक व्यापक और समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	20.03.2020	अनिर्णीत

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2020 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय - 6

आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 322 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 164 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 556 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 296 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 1 आश्वासन और राज्य सभा में 50 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्‌वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 322 आश्वासन निकाले गए। इनमें से 14 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्‌वारा कोई भी आश्वासन छोड़ा नहीं गया, 6 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्‌वारा आश्वासन नहीं माना गया और शेष 302 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 557 आश्वासनों (2020 से संबंधित 14 आश्वासनों सहित) से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (1 आंशिक सहित) को सभा पटल पर रखा गया, 309 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्‌वारा छोड़ दिया गया और 100 (2020 से संबंधित 6 आश्वासनों सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्‌वारा आश्वासन नहीं माना गया। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए 164 आश्वासनों में से, 21 को सभा के पटल पर रखा गया, एक आश्वासन को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्‌वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 142 आश्वासन लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 346 आश्वासनों (2020 से संबंधित 21 आश्वासनों सहित) के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (50 आंशिक सहित), को भी सभा पटल पर रखा गया, 9 आश्वासनों (2020 से संबंधित एक आश्वासन सहित) को छोड़ दिया गया और 11 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्‌वारा आश्वासन नहीं माना गया। वर्ष 2008 से 2020 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए/नहीं माने गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	**कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन**	**आश्वासनों की संख्या**			**कुल**	**शेष आगे ले जाया गया - 13**	**कार्यान्वयन का प्रतिशत**
		कार्यान्वित	**विलोप**	**छोड़ दिए गए**		**शेष**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3+4+5)**	**7(2-6)**	**8**
2008	1109	1008	97	3	1108	1	99.91
2009	1298	1116	162	1	1279	19	98.54
2010	1600	1489	66	10	1565	35	97.81
2011	1904	1676	119	48	1843	61	96.80
2012	1949	1684	139	58	1881	68	96.51
2013	1108	947	112	0	1059	49	95.58
2014	1461	1205	134	6	1345	116	92.06
2015	1331	1103	72	29	1204	127	90.46
2016	1301	1025	64	42	1131	170	86.93
2017	853	598	46	28	672	181	78.78
2018	692	413	30	42	485	207	70.09
2019	1052	280	30	21	331	721	31.46
2020	322	14	0	6	20	302	6.21
	15980	**12558**	**1071**	**294**	**13923**	**2057**	**87.13**

राज्य सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या			कुल	शेष आगे ले जाया गया - 19	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप	छोड़ दिए गए		शेष	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3+4+5)**	**7(2-6)**	**8**
2008	680	557	44	70	671	9	98.68
2009	1018	859	72	85	1016	2	99.80
2010	1082	923	71	62	1056	26	97.60
2011	1003	818	74	91	983	20	98.01
2012	1118	906	141	38	1085	33	97.05
2013	688	579	74	19	672	16	97.67
2014	1190	970	149	19	1138	52	95.63
2015	907	634	78	113	825	82	90.96
2016	991	537	27	303	867	124	87.49
2017	484	267	8	143	418	66	86.36
2018	413	207	6	86	299	114	72.40
2019	410	158	0	76	234	176	57.07
2020	164	21	1	0	22	142	13.41
	10148	**7436**	**745**	**1105**	**9286**	**862**	**91.51**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने सदन में अपना पहला और दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 12.03.2020 को, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2020 को और दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया।

टिप्पणी: आश्वासन निगरानी प्रणाली को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और उसमें वर्ष 2008 से आंकड़ों की प्रविष्टि की गई थी। पिछले शेष को आगे लाया गया था। ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली की शुरूआत 9 अक्तूबर, 2018 से की गई थी। भौतिक प्रारूप से कुछ भिन्नता होने के कारण आंकड़ों के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

<u>एक झलक</u>

- दिनांक 31.12.2019 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 880 मामले और राज्य सभा में 793 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम नियम 377 के अंतर्गत 629 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 145 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1509 मामलों में से 1452 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 57 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 938 विशेष उल्लेखों में से 661 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 277 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 30 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 377 के अधीन लोक सभा में 629 मामले उठाए गए जिससे 17वीं लोक सभा के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1509 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2020 तक 1452 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 57 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 31.12.2019 को 793 मामले लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विशेष उल्लेख के तहत 145 मामले उठाए गए जिससे लंबित मामलों की कुल संख्या 938 हो गई। इनमें से दिनांक 31.12.2020 तक 661 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेजे जा चुके हैं और 277 मामले लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 1003 मामले (लोक सभा: 757, राज्य सभा: 246) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 7 मामले (लोक सभा: 2, राज्य सभा: 5) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 38 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 22 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा का उद्गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श की गई और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) यदि किसी सदस्य को किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि हो तो उसे उस मंत्रालय/विभाग की परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य हैं।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और कोई भी अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सत्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 38 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय (**परिशिष्ट-9)** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, परामर्शदात्री समितियों की कोई बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित नहीं की गई।

अध्याय-9

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, न तो किसी शिष्टमंडल ने विदेश का दौरा किया और न ही कोई शिष्टमंडल भारत आया।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.2 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं।

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 3 संसद सदस्यों (तीनों लोक सभा के) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.4 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में, जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता है, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.5 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.6 संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में राज्य सरकारों के गण्यमान्य व्यक्तियों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय -10

युवा संसद योजना

एक झलक:

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  - क) 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए 19-20 फरवरी, 2020 को ओशन पर्ल इन, बेजाज, मंगलौर, कर्नाटक में।
- "राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल पर 7800 संस्थाओं ने पंजीकरण कराया है।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

1. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन

10.2 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन दिनांक 06.11.2019 से 03.01.2020 तक किया गया। सर्वोदय विद्यालय, जाफरपुर कलां, नई दिल्ली को 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया।

2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 32 संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। कोविड-19 महामारी के कारण, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, जो वर्ष 2020 के दौरान आयोजित होनी नियत थी, का आयोजन अभी किया जाना है।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.4 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक प्रतियोगिता के 23 संस्करण संपन्न हो चुके हैं। कोविड-19 महामारी के कारण, जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, जो वर्ष 2020 के दौरान आयोजित होनी नियत थी, का आयोजन अभी किया जाना है।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.5 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में कुल 15 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.6 विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन ओशन पर्ल इन, बेजाज, मंगलौर, कर्नाटक में 19-20 फरवरी, 2020 को किया गया।

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के साथ।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.7 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन जो वर्ष 2020 के दौरान संपन्न होना नियत था, कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अभी किया जाना शेष है।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.8 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुरोध पर एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अपने-अपने राज्य में क्रमश: वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

6. "राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल का शुभारंभ

10.9 राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को किया गया था। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

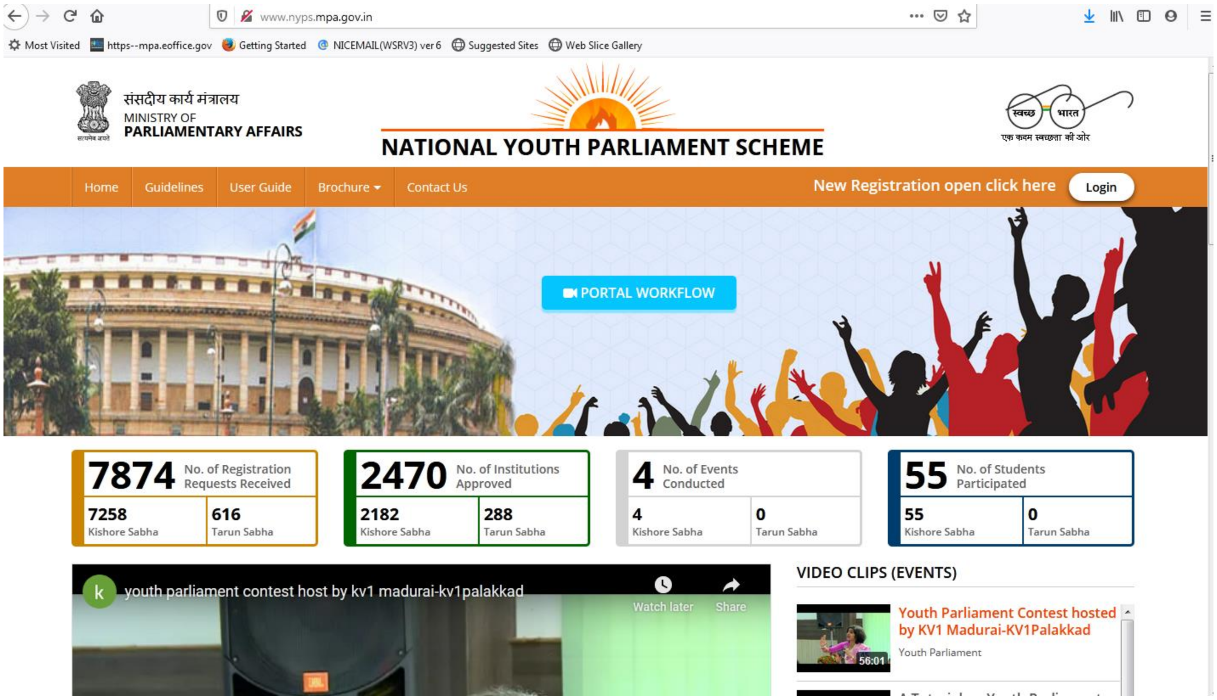

राष्ट्रीय युवा संसद योजना का डैशबोर्ड

10.10 युवा संसद कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल पर 7800 से अधिक संस्थाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है। यह अनुमान है कि युवा संसद कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए पोर्टल पर ~10,000 अपना पंजीकरण कराएंगे। अत: वेब-पोर्टल से युवा संसद कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कई गुणा बढ़ी है।

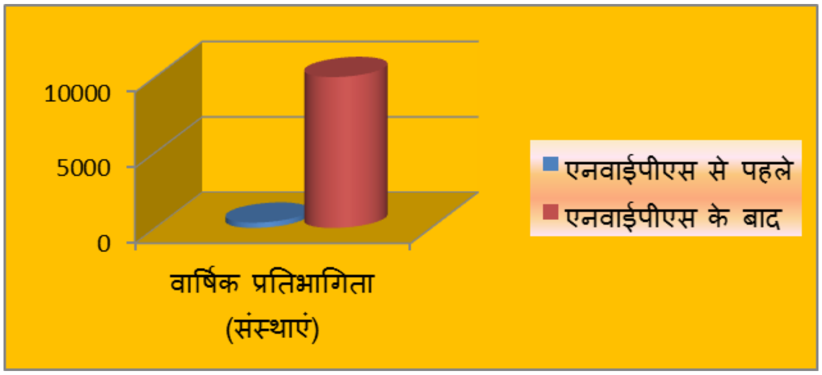
10000
5000
0
वार्षिक प्रतिभागिता
(संस्थाएं)
एनवाईपीएस से पहले
एनवाईपीएस के बाद

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिंदी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें दिनांक 26.06.2010, 07.09.2020 और 18.12.2020 को आयोजित की गई। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिंदी सलाहकार समिति

11.5 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। 15 जून, 2018 को पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया था और 03.11.2020 को समिति का पुनर्गठन हो चुका है। दिनांक 12.01.2021 को समिति की पहली बैठक आयोजित की जाएगी।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 3 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.7 मंत्रालय में 01 से 14 सितंबर, 2020 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं संचालित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

पखवाड़े के उद्घाटन के दिन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित चार प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिंदी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 कोविड-19 महामारी के कारण हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित नहीं किया जा सका और विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 23 अधिकारियों/कर्मचारियों **(परिशिष्ट-10)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

11.9 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग, अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन अनुभाग (लोक सभा)	100%
3.	आश्वासन अनुभाग (राज्य सभा)	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-।। अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-। अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

अध्याय - 12

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)

एक झलक

1. नेवा की प्रस्तावना
2. नेवा की मुख्य विशेषताएं
3. योजना का लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना
4. सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल विकास
5. वेबिनार - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
6. राज्यों में नेवा
7. प्रधानमंत्री का नेवा को अपनाने का आग्रह
8. नेवा कार्यान्वयन की रीति

1. प्रस्तावना

12.1 भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) की पहचान की है। ई-विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल ऐसी ही मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है जो मंत्रिमंडल से अनुमोदित है। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था और हिमाचल प्रदेश विधान सभा की तर्ज पर विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए इसे राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुन:नामित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया।

12.2 नेवा की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 673.94 करोड़ है और निधियन केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात 60:40, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य 90:10 और संघ राज्य क्षेत्र 100% के पैटर्न पर प्रस्तावित है।

12.3 डिजिटल इंडिया संबंधी सर्वोच्च समिति ने दिनांक 16.6.2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि ई-विधान के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात, आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) ने 20 फरवरी, 2018 और 14 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी दो बैठकों में ई-विधान परियोजना के मूल्यांकन के लिए विचार किया और इस निर्देश के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दे दी कि मंत्रालय सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के विकास और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के साथ क्षमता निर्माण के उपायों पर आगे बढ़ सकता है।

12.4 केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा, कार्य की प्रगति के मूल्यांकन और परियोजना निष्पादन टीम को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होगी और नए निदेशों/प्रस्तावों के लिए भी जिम्मेदार होगी तथा इसके सुचारू उत्थान तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोजन हेतु देश में किसी अन्य विधानमंडल में अन्यत्र चल रहे कार्य के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करेगी। सीपीएमयू, राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) के अनुरोध पर कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करने की सिफारिश करेगी।

2. <u>नेवा की मुख्य विशेषताएं</u>

12.5 **कागज रहित विधानसभा या ई-विधानसभा** एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ई-लोकतंत्र के मूल तत्व को मजबूती प्रदान करते हुए विधानसभा के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल होते हैं। यह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की खोज, जानकारी के साझाकरण से लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधानसभा को अधिक पारदर्शी, सुलभ, उत्तरदायी और प्रभावी बनने में मदद कर सकता है।

12.6 **नेवा** का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके अनेक एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डेटा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का सृजन करना है।

12.7 नेवा एक सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो सदस्यों के पास उपलब्ध उपकरणों/टेबलेट में उनके द्वारा वांछित समस्त सूचना उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने और विधानमंडलों/विभाग की सभी शाखाओं को इस पर दक्षतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के लिए तैयार की गई है। यह एक कुशल, समावेशी, शून्य उत्सर्जन-आधारित डेटाबेस के निर्माण के संदर्भ में लाभदायक होगी।

12.8 नेवा एक जेनरिक डिजिटल एप्लिकेशन है जिसे .NET प्रौद्योगिकी पर एचपी नमूने पर डिजाइन किया गया है। इसे स्थानीय डाटा सेंटर पर प्रतिबिंब के साथ राष्ट्रीय क्लाउड - मेघराज पर उपलब्ध कराया गया है और सभी 39 सदनों (लोक सभा + राज्य सभा + 31 विधानसभा + 6 परिषद) के लिए अनुरक्षण, सुरक्षा और आपदा पुन:प्राप्ति का ध्यान रखा गया है। इसका उपयोग 39 सदनों और 5300 लोक प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, मणिपुर की विधानसभाएं इस एप्लिकेशन का उपयोग पहले ही शुरू कर चुकी हैं। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधानमंडलों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

12.9 यह पहल नागरिकों को एक सरल ढंग से विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए कागज-पत्रों तक पहुंच प्रदान करके विधानमंडलों के कामकाज को उनके नजदीक लाकर न केवल लोकतंत्र को उनके नजदीक लाएगी, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक जुड़ाव का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे वास्तविक लोकतंत्र हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया जा सकेगा। सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय वित्तीय सहायता के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्षमता निर्माण के संदर्भ में संपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। पूर्ण सहायता उपलब्ध कराने और अर्जित गति पर मदद करने के लिए एक मेहनती नेवा टीम मौजूद है।

12.10 यह एप्लिकेशन संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, सभापटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति की रिपोर्टों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सार, अस्थायी कलैंडर और मंत्रालयों के रोटेशन, समाचारों और प्रेस विज्ञप्तियों और संदर्भ सामग्रियों के अतिरिक्त सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर विधानमंडलों द्वारा जारी की जा रही या जारी की गई सूचनाओं, समाचारों जैसी समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएगी। यह एप्लिकेशन समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराएगी। इस एप्लिकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भी उपलब्ध है, लोक सभा/राज्य सभा टीवी, दूरदर्शन का सीधा प्रसारण राज्य विधानमंडलों के संबंध में समान सुविधा शामिल करने के प्रावधान के साथ पहले ही सक्षम कर दिया गया है।

12.11 **नेवा मोबाइल ऐप** पर सभी मंत्री/सांसद दैनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ से 45 मिनट पूर्व प्रश्नों के उत्तरों, सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों सहित सदन के समस्त कार्य की जानकारी पा सकेंगे जबकि माननीय अध्यक्ष सदन का समस्त कार्य उसी समय प्राप्त कर सकेंगे जैसे ही वह उपलब्ध होगा। ई-विधान परियोजना का लक्ष्य एंड्रॉइड और आई.ओ.एस. प्लेटफार्म दोनों पर एक सामान्य नेवा एप्लिकेशन विकसित करना है।

12.12 सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय ने डिजाइन और व्यावहारिकता के मद्देनजर विभिन्न आशोधनों के अधीन रहते हुए प्रथम चरण में नेवा के सभी मॉड्यूल और नवीनतम अद्यतित मोबाइल एप्लिकेशन तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है।

12.13 **हिमाचल प्रदेश** पहले ही देश का पहला पूर्णत: डिजिटल विधानमंडल बन चुका है। अन्य राज्य जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश और सिक्किम भी इस परिवर्तन के विभिन्न चरणों में हैं और उनके प्रयास काफी प्रशंसनीय हैं। सभी विधानमंडलों में एकसमान कार्यचालन के साथ एकल मंच के विचार के पीछे, इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ प्रभावी और सरल अनुबंध सुनिश्चित करना है।

12.14 सदन के भीतर नेवा सदस्य के लॉगिन के माध्यम से सुलभ डिजिटल ई-बुक प्रारूप का समर्थन करेगा। नेवा-मोबाइल ऐप की सामग्री सदन के भीतर स्थापित टच-स्क्रीन डिवाइस के बिना भी मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से सुलभ होगी। भारत सरकार एनआईसी और हार्डवेयर, सुविधा केंद्रों और सभी 39 सदनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से नेवा का भरण-पोषण करेगी। इस योजना के तहत वित्त पोषण केंद्रीय प्रायोजित योजना पैटर्न पर आधारित होगा। प्रत्येक सदन के लिए क्लाउड सर्वर पर उपलब्ध अनुकूलित स्टैण्ड-अलोन संस्करण, प्रशिक्षण साहित्य और उसके लिए प्रयोगकर्ता मैनुअल को स्थान दिया गया है। राज्य अपने आगामी सत्रों के आंकड़ों के संकेत भेजना शुरू कर सकते हैं।

3. योजना का लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना

12.15 योजना की अधिसूचना, दिशा-निर्देश और समझौता ज्ञापन जारी किया जा चुका है और ये नेवा की वेबसाइट (https://www.neva.gov.in) के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mpa.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

12.16 ई-विधान को शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सर्वोच्च समिति द्वारा सशक्त किए गए रूप में, भारत सरकार ने सभी विधायी सदनों के कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)," डिजिटल विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में एक नई केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और नेवा परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि राज्य विधानमंडलों को खुद को "डिजिटल सदन" में परिवर्तित करने में मदद मिल सके और वे राज्य सरकार के विभागों के साथ कागज रहित रूप में सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर निष्पादित कर सकें। योजना के तहत सहायता परियोजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों, नियमों और शर्तों द्वारा शासित की जाएगी। भारत सरकार के वित्त पोषण का हिस्सा रू.4,23.60 करोड़ होगा।

4. <u>सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल का विकास</u>

12.17 सीपीएमयू, नेवा विधानमंडलों, सदस्यों और एप्लिकेशन के विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण उपायों पर लगातार काम करती रही है। इसे सरल बनाने के लिए, इसने हितधारकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रस्तुतियां और छोटे-छोटे शिक्षाप्रद वीडियो तैयार किए हैं। हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।

विभिन्न एप्लिकेशनों के लिए विकसित किए गए मॉड्यूल्स:

(i) मास्टर डाटा

यह दस्तावेज विशेष तौर पर एडमिन और सुपर एडमिन की भूमिका से संबंधित है और विस्तार से इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। इसमें कार्यप्रवाह आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एप्लिकेशन में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित संपूर्ण मास्टर डाटा की प्रविष्टि के साथ उपयोगकर्ता का संपूर्ण कामकाज शामिल है। एडमिन और सुपर एडमिन की भूमिका के महत्व को समझने में मदद करने के लिए कदम दर कदम प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।

(ii) प्रयोगकर्ता प्रबंधन

यह मॉड्यूल कदम दर कदम प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसके माध्यम से एक भावी उपयोगकर्ता/हितधारक एकीकृत और बहु-हितधारक नेवा प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए खुद को नेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले नेवा प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए। इसमें उपयोगकर्ता को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम यूजर आईडी (नेवा आईडी) और पासवर्ड के साथ उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत/विशिष्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स के सृजन के रूप में सामने आता है।

(iii) मोबाइल एप्लिकेशन

यह मॉड्यूल राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की मोबाइल एप्लिकेशन से संबंधित है। यह भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल संबंधी सूचनाओं तक पहुँचने के लिए एकल मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप एन्ड्रॉएड के साथ-साथ आईओएस मोबाइल उपकरणों के लिए उपलब्ध है। मोबाइल ऐप को मोबाइल फोन के साथ ही टैबलेट उपकरणों में भी स्थापित किया जा सकता है। सभी राज्यों के विधानमंडलों के माननीय सदस्य अपने-अपने राज्य विधानमंडल को सभी प्रकार के विधायी नोटिस प्रस्तुत करने के लिए एक ही ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

(iv) विभाग लॉगिन रिप्लाई

यह मॉड्यूल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिका से संबंधित है। नेवा सरकारी विभागों को प्रश्न/नोटिस आदि के ऑनलाइन उत्तर देने की सुविधा प्रदान करता है और ऐसे सभी विभागों को विधानमंडलों के साथ परस्पर संवाद के संदर्भ में उन्हें कार्यचालन के एक साझा मंच पर लाकर उनके कामकाज को कागज-रहित बनाता है। नेवा विधेयकों, कागज-पत्रों आदि को सभा पटल पर डिजिटल रूप में रखने में सरकारी विभागों को सक्षम बनाता है। यह खंड उपयोगकर्ता विभाग की भूमिका के बारे में बताता है जिसमें उनके विधानमंडल में उठाए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर का प्रारूपण शामिल है। इसमें नोटिसों के जवाब भेजना भी शामिल है। नेवा का यह मॉड्यूल विभागों को सभी उत्तर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है।

(v) विधेयक प्रबंधन प्रणाली

इस मॉड्यूल को "विधेयक प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल" नाम दिया गया है। एक विधेयक किसी विधानमंडल के विचाराधीन एक प्रस्तावित विधान होता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक कि उसे विधानमंडल द्वारा पारित न कर दिया जाए और ज्यादातर मामलों में कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। यह मॉड्यूल नेवा प्लेटफॉर्म के संभावित उपयोगकर्ताओं को उस प्रक्रिया के बारे में प्रथम सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से एक हितधारक/उपयोगकर्ता अपने आपको नेवा प्लेटफॉर्म पर विधेयक प्रबंधन के विभिन्न चरणों में व्यस्त रख सकता है, अर्थात जिन चरणों के माध्यम से एक "संभावित विधेयक" आखिरकार "अधिनियम" बनता है। विधेयक प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों/उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं, कर्तव्य, शक्तियां, कार्य आदि भिन्न-भिन्न होती हैं। यह मॉड्यूल इस बात की जानकारी देता है कि विभिन्न हितधारकों को कैसे एकीकृत किया जाता है और सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है और इस तरह से इन हितधारकों को उस पूरी ऑनलाइन/वेब-आधारित प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करता है जिसके माध्यम से विधेयक एक अधिनियम बनता है। सदनों में पारित होने के बाद विधेयक ई-राजपत्र में अपनी अधिसूचना के बाद सार्वजनिक वेबसाइट में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाता है और सार्वजनिक डोमेन में उपयोगकर्ताओं की पहुंच में होता है।

(vi) कार्यसूची

यह दस्तावेज़ कार्यसूची के निर्माण से संबंधित है, जो सत्र के किसी दिन विशेष की कार्यसूची होती है। कार्यसूची निर्माण के लिए उपयोगकर्ता डैशबोर्ड (एलओबी सीएमएस) में लॉगिन करता है और कार्यसूची तैयार करता है जिसमें वे सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं जो किसी विशेष दिन पर सदन में होने होते हैं। तैयार की गई कार्यसूची को अंतिम अनुमोदन के लिए विधानसभा सचिव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद इसे सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस कार्यसूची का सत्र की एक विशेष तारीख के लिए सदन के कामकाज में शामिल सदस्यों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रकाशित कार्यसूची को बिजनेस टैब के तहत देखा जा सकता है जहां सत्र और संबंधित तिथियों का चयन किया जा सकता है, इस प्रकार संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यसूची को सूचीबद्ध किया जाता है।

(vii) रिपोर्टर्स मॉड्यूल

रिपोर्टर्स मॉड्यूल सदन की कार्यवाहियों के शब्दश: रिकार्ड तैयार करने के लिए एक कार्य प्रवाह आधारित वेब एप्लिकेशन है। किसी भी अनुसूचित भाषा में शब्दशः रिकार्ड तैयार करना संभव है। रिपोर्टर्स मॉड्यूल निम्नलिखित कार्यशीलता प्रदान करता है:

- ✓ प्रमुख द्वारा रिपोर्टरों को टाइम स्लॉट (पारी) सौंपना।
- ✓ पारी-वार फाइलें तैयार करना
- ✓ पारियों का विलय
- ✓ प्रमुख रिपोर्टर को पारी सौंपना
- ✓ प्रमुख रिपोर्टर द्वारा पारियों का पुनरीक्षण
- ✓ सभी पारियों का विलय
- ✓ सार्वजनिक पोर्टल पर हर घंटे शब्दश: कार्यवाही का प्रकाशन
- ✓ सार्वजनिक पोर्टल पर दिनों की कार्यवाहियों का प्रकाशन।

(viii) समिति प्रबंधन प्रणाली

यह एप्लिकेशन केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की विधायी शाखा के कामकाज को सरल बनाती है। समिति प्रणाली विधान का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन समितियों के कामकाज के लिए डिजिटल प्रणाली प्रदान करती है। नेवा समिति प्रबंधन मॉड्यूल तक नेवा सीएमएस लॉगिन के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह दस्तावेज़ समिति प्रबंधन मॉड्यूल के उपयोग की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करता है। यह समिति प्रबंधन मॉड्यूल पर काम करने के लिए नेवा उपयोगकर्ता का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन करता है।

(ix) प्रश्न संसाधन

यह खंड विधानमंडल स्तर पर नोटिस/प्रश्न संसाधन में शामिल विभागों के कामकाज का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें एक नया प्रश्न/नोटिस प्रविष्ट करना, उस प्रश्न के लिए टंकक निर्दिष्ट करना, प्रश्न के आगे विवरण की प्रविष्टि करना, प्रूफ़ रीडिंग के लिए भेजना, सचिव अनुमोदन और संबंधित प्रश्न का पीडीएफ जेनरेट करने के लिए अनुवादक शामिल हैं। ये सभी विभाग इस साझा सीएमएस नेवा एप्लिकेशन के तहत काम करते हैं, जो सदन में उठाए गए प्रश्न तक बिना अड़चन के मुक्त पहुँच प्रदान करते हैं।

(x) डिजिटल सदन

नेवा डिजिटल सदन, नेवा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) का एक हिस्सा है और इसे राज्य विधानमंडल की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल (कागज रहित) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेवा ई-बुक को विज़ुअल स्टूडियो 2017 और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर एमवीसी आर्कीटेक्चर, सिग्नल-आर कोर, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, जेसन, बूटस्ट्रैप इत्यादि में asp.net कोर 2.2 (माइक्रोसॉफ्ट की एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी) के माध्यम से विकसित किया गया है।

परियोजना "नेवा डिजिटल हाऊस" एक एप्लिकेशन सूट है, जिसमें प्रमुख मॉड्यूल निम्न प्रकार हैं:

- ✓ नेवा ई-बुक
- ✓ सदन की कार्यसूची का डिजिटल प्रदर्शन
- ✓ ई-मतदान
- ✓ ई-हाजिरी
- ✓ सदन उत्पादकता रिपोर्ट
- ✓ टाक टाइम प्रबंधन
- ✓ अध्यक्ष पैड
- ✓ मंत्री पैड

डिजिटल हाऊस मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाते हैं:-

- ✓ डिजिटल ई-बुक का उपयोग करते हुए सभी कागज-पत्रों का डिजिटल रूप में सभापटल पर रखा जाना।
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक पैड का उपयोग करते हुए अध्यक्ष (सभापति) और सचिव के बीच संचार।

- ✓ सदन की कार्यवाहियों के दौरान टिप्पणियों के आदान-प्रदान के लिए मंत्री और प्रशासनिक सचिवों के बीच संचार।
- ✓ कार्यसूची की किसी मद पर ई-मतदान।
- ✓ सदस्यों की ई-हाजिरी।
- ✓ कार्य नियंत्रक मॉड्यूल।
- ✓ कार्यसूची की मदों की डिजिटल प्रदर्शन प्रणाली।
- ✓ अध्यक्ष का टाक-टाइम प्रबंधन।

5. <u>वेबिनार - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</u>

12.18 कोविड-19 महामारी और वैश्विक लॉकडाउन ने पूरी दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है। इसका मतलब था कि तकनीकी विकल्प ही प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराने का समाधान हैं। सीपीएमयू टीम ने भी विधानमंडलों के सभी प्रतिभागियों के लिए वेबिनार के माध्यम से एक मुक्त वर्चुअल लर्निंग मोड में इस तरह के कार्यक्रम की व्यवस्था की। मास्टर डाटा, पब्लिक वेब पोर्टल, प्रश्न प्रसंस्करण, विभाग मॉड्यूल, कार्यसूची, समिति प्रबंधन प्रणाली, विधेयक प्रसंस्करण, वेब आधारित रिपोर्टर्स मॉड्यूल, उपयोगकर्ता प्रबंधन, डिजिटल हाऊस और नेवा मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न मॉड्यूलों पर 21-23 जुलाई, 2020 के दौरान वेबिनार की व्यवस्था की गई।

12.19 वेबिनार में सभी विधायी सदनों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी जुड़े, जो नेवा की मूल बातें जानने के लिए काफी उत्सुक थे और उन्होंने जिज्ञासा के साथ अपने विधायी सदनों में नेवा को लागू करने की इच्छा व्यक्त की।

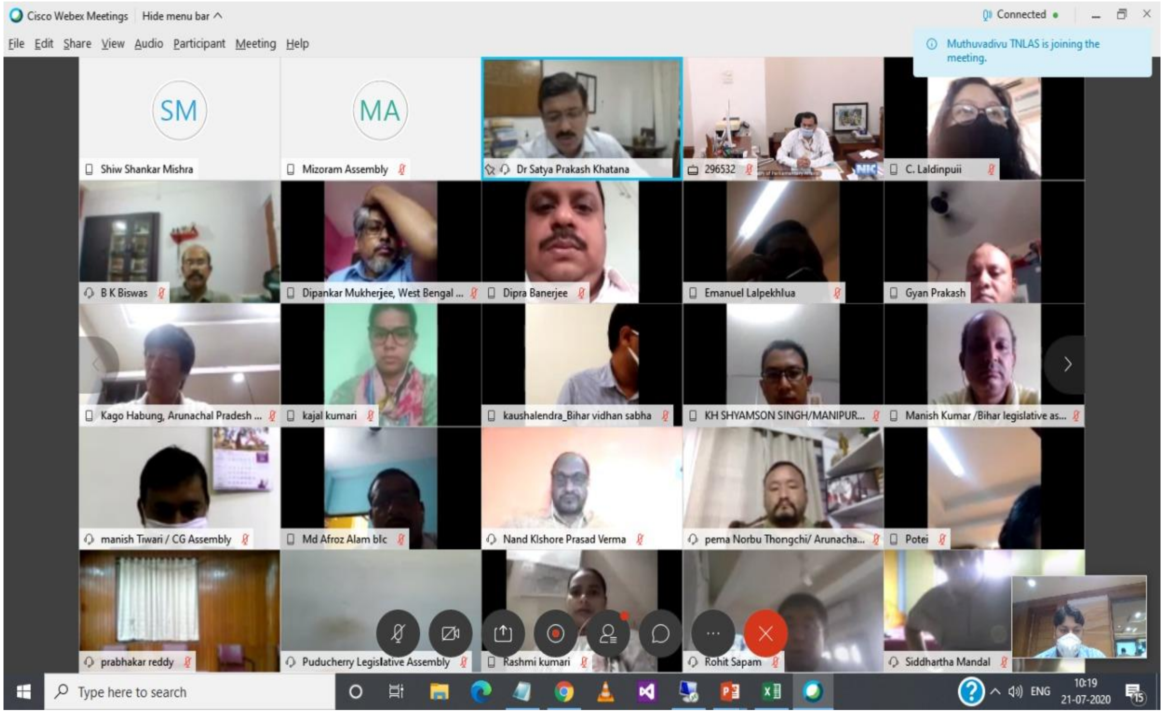

डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 21-23 जुलाई, 2020 के दौरान सीपीएमयू द्वारा आयोजित वेबिनार में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

12.20 कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सचिवों और नोडल अधिकारियों के साथ उनके संबंधित विधानमंडलों में नेवा प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंगलवार, 18 अगस्त 2020 को एक आभासी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। शुरुआत में संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और सभी को मंत्रालय की वेबसाइट पर 16 मार्च, 2020 को प्रकाशित नेवा स्कीम की अधिसूचना के बारे में जानकारी दी। संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने प्रतिभागियों को विधानमंडलों द्वारा नेवा एप्लिकेशन को अपनाने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में बताया।

12.21 समापन भाषण में, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों को नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने ऐसे कई लाभ गिनाए जो विधानमंडलों को नेवा अपनाने पर प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीपीएमयू प्रत्येक राज्य के लिए आदर्श विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा ताकि उन्हें अपने स्वयं के डीपीआर तैयार करने में मदद मिल सके। उन्होंने राज्यों से नेवा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन (वेब और मोबाइल दोनों) का उपयोग करने के लिए कहा और उनके विधानमंडलों में हार्डवेयर की पूर्ण स्थापना तक अपने कर्मचारियों और विधायकों के बीच इसके ज्ञान का प्रसार करने का आग्रह किया। इससे उन्हें सॉफ्टवेयर के काम के बारे में पहले से जानकारी मिल सकेगी। विभिन्न नेवा मॉड्यूल का उपयोग करके सदस्यों, पिछले सत्रों, विभागों आदि के बारे में सामान्य डेटा की प्रविष्टि की जा सकती है। अंत में, उन्होंने राज्यों से मुख्य भूमिका अदा करने और कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर निगरानी करने का आग्रह किया ताकि परियोजना को बिना किसी देरी के लागू किया जा सके। अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त हुई।

6. <u>राज्यों में नेवा</u>

12.22 टीम नेवा, संसदीय कार्य मंत्रालय ने ई-शासन पर 7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की। यहाँ, टीम ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन की कार्यक्षमता प्रदर्शित की। सम्मेलन का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में ई-शासन पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में नेवा

<u>अरूणाचल प्रदेश</u>

12.23 'डिजिटल इंडिया 'की दिशा में एक बड़े बहाव के बीच, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्रीय प्रायोजित परियोजना राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को अपनाकर अपने पहाड़ी राज्य को कागज रहित ई-शासन के मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने की दिशा में एक विशाल छलांग लगाई है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का उद्देश्य एक विशाल डेटा भंडार तैयार करते हुए देश के सभी विधानमंडलों को एक मंच पर लाना है। नेवा की क्लाउड प्रौद्योगिकी के माध्यम से, डेटा संग्रह के लिए नोटिस और अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए डेटा को किसी भी समय कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है।

12.24 राज्य ई-विधान परियोजना के माध्यम से अपना पहला बजट पेश करने के लिए तैयार है, जो पूरी तरह से कागज रहित है। यह अपने सदस्यों को लिखित उत्तर, रिपोर्ट, विधेयक और अन्य दस्तावेजों की हार्ड प्रति प्रदान करने की दशकों पुरानी प्रणाली को भी समाप्त कर देगा।

मुख्य मंत्री प्रेमा खांडू नेवा परियोजना के माध्यम से सदन के डिजिटलीकरण का अनुभव लेते हुए

7. <u>प्रधानमंत्री का नेवा को अपनाने का आग्रह</u>

12.25 प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवडिया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान, देश भर के सभी विधायी निकायों के सभी अध्यक्षों से विधानमंडलों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रसर होने का आग्रह किया ताकि विधानमंडलों के कामकाज को भारत सरकार द्वारा विकसित रेडीमेड समाधान, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को अपनाकर कागज रहित बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री संसद के सदनों और सभी राज्य विधानमंडलों को उनके पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को अपनाकर डिजिटलीकरण का आग्रह करते हुए

12.26 सरकार ने "वन नेशन - वन एप्लिकेशन" के सिद्धांत के आधार पर पूरे भारत में 39 विधानमंडलों के डिजिटलीकरण और उनके कार्यचालन को कागज-रहित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के ई-विधान एमएमपी के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) मोबाइल एप्लिकेशन और वेब एप्लिकेशन विकसित की है। नेवा को एक सदस्य केंद्रित, उपकरण तटस्थ और प्रयोक्तानुकूल ऐप के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है जो सदस्यों के पास उपलब्ध उपकरणों/टेबलेट में उनके द्वारा वांछित समस्त सूचना उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने और एक कुशल, समावेशी, शून्य उत्सर्जन-आधारित डेटाबेस तैयार करके और हमारे विधानमंडलों के कार्य करने के तरीके में सुधार लाकर विधानमंडलों/विभागो की सभी शाखाओं को इस पर दक्षतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के लिए तैयार की गई है। नेवा का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक प्लेटफार्म पर लाना और ऐसा करते हुए अनेक एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डाटा भंडार का सृजन करना है। नेवा एक सदस्य केंद्रित और उपकरण तटस्थ एप्लिकेशन है जो लोकतंत्र को आम जनता की पहुंच में लाएगी। नेवा प्लेटफॉर्म राज्यों के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है और ओडीशा, पंजाब, बिहार और नागालैंड जैसे राज्यों के लिए निधियां भी जारी की जा चुकी हैं जो नेवा के माध्यम से अपने-अपने सदनों को डिजिटल रूप से चलाने जा रहे हैं।

8. राष्ट्रपति ने अपने बजट अभिभाषण में नेवा का उल्लेख किया

12.27 भारत के राष्ट्रपति ने बजट सत्र, 2021-22 के लिए संसद की संयुक्त बैठक को अपने संबोधन में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के प्रति सरकार के प्रोत्साहन के बारे में उल्लेख किया था। इस दिशा में ई-विधान ऐप (नेवा) के माध्यम से, विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। राज्यों की विधानसभाओं में नेवा - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का कार्यान्वयन विधायी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में एक नए युग की शुरूआत करेगा।

राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के दौरान विधानमंडलों के डिजिटलीकरण के लिए नेवा परियोजना का उल्लेख किया था।

9. <u>नेवा कार्यान्वयन की रीति - अधिकारप्राप्त समिति द्वारा परियोजना की मंज़ूरी</u>

12.28 परियोजना के दिशा-निर्देशों के नियम और शर्तों के अनुपालन में ई-विधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य (राज्यों) को निधियां अनुमोदित करने के लिए नेवा की एक अधिकारप्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसकी रचना निम्न प्रकार है:

i)	सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	-	अध्यक्ष
ii)	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव या उनके नामिति	-	सदस्य
iii)	वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
iv)	महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	-	सदस्य
v)	एमडी, एनआईसीएसआई	-	सदस्य
vi)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्री के विधानमंडल का सचिव	-	सदस्य
vii)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव (आईटी)	-	सदस्य
viii)	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	-	सदस्य सचिव
ix)	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रितगण

समझौता ज्ञापन

12.29 कागज रहित राज्य विधानमंडलों और विधायकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना और सेवा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान उपार्जित करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन - नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

12.30 नेवा की ओर पहले कदम के रूप में इस समझौता ज्ञापन पर निम्नलिखित राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:

1. बिहार (दोनों सदन)
2. पंजाब
3. ओडीशा
4. मेघालय
5. मणिपुर
6. गुजरात
7. अरूणाचल प्रदेश
8. नागालैंड
9. पुदुचेरी
10. त्रिपुरा
11. हिमाचल प्रदेश

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

12.31 कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल अगला है कदम हितधारकों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रस्तुत किया जाना। जिसके लिए परियोजना के कार्यान्वयन का विश्लेषण करने में राज्यों की सहायतार्थ सरकारी वेबसाइट पर एक आदर्श डीपीआर उपलब्ध कराई गई है। निम्नलिखित राज्य डीपीआर प्रस्तुत करके कार्यान्वयन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं:

1. पंजाब
2. ओडीशा
3. बिहार (दोनों सदन)
4. नागालैंड
5. मणिपुर

निधियों की मंज़ूरी

12.32 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% को छोड़कर शेष राज्यों के लिए 60:40 के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही नेवा परियोजना को

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अधिकारप्राप्त समिति द्वारा निम्नलिखित राज्यों के लिए मंजूर किया जा चुका है और केंद्रीय वित्तीय सहायता की पहली किस्त नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उन्हें जारी की जा चुकी है:

क्र.सं.	राज्य	परियोजना की लागत	पहली किस्त (20%)
1.	पंजाब	रू.12,31,05,100	रू.1,47,72,612
2.	ओडीशा	रू.8,56,36,650	रू.1,02,96,408
3.	बिहार विधानसभा	रू.15,97,00,100	रू.1,91,64,012
4.	बिहार परिषद	रू.8,21,46,550	रू.98,57,586
5.	नागालैंड	रू.8,72,29,700	रू.1,57,01,346
6.	मणिपुर	रू.9,57,91,050	रू.1,72,42,389
	कुल	रू.**63,36,09,150**	रू.**8,70,34,353**

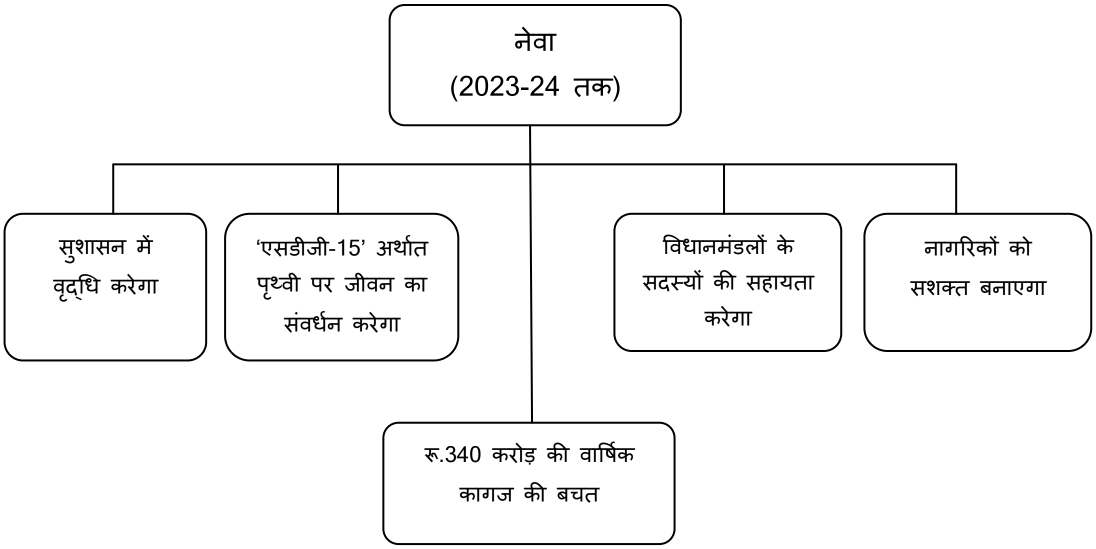

12.33 इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने से कागज पर भारी बचत होगी (लगभग 340 करोड़ वार्षिक), जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और यह संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी (15) - 'लाइफ ऑन अर्थ' की उपलब्धि में आगे कदम बढ़ाना होगा। सरकार के 'विजन मिशन 2024' को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान 21 सदनों में और वर्ष 2021-22 के दौरान शेष 20 सदनों में नेवा को कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है।

12.34 इस परियोजना का भविष्य आशाजनक है और यह देश भर के विधानमंडलों में पहले के भौतिक प्रस्तावों के बजाय आभासी प्रतिस्थापन और सहभागिता की ओर अग्रसर है। इस प्रकार, हमारे विधानमंडलों को डिजिटल रूप से सफलतापूर्वक चलाने की संभावना कोई दूर का सपना नहीं है और प्रमुख हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के साथ इसे साकार किया जा सकता है।

अध्याय - 13

सामान्य

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 16 संसद सदस्य (10 लोक सभा से और 6 राज्य सभा से); और
  - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 56 संसद सदस्य (28 लोक सभा से और 28 राज्य सभा से)

सरकार द्‌वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.1 भारत सरकार द्‌वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्‌वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 16 संसद सदस्यों (लोक सभा के 10 और राज्य सभा के 6) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-11** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.2 भारत सरकार द्‌वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्‌ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्‌वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्‌वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए रूप में 56 संसद सदस्यों (लोक सभा के 28 और राज्य सभा के 28) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्‌वारा कार्रवाई की गई:-

(i) सत्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का पहले से लेकर बारहवां प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 157वां प्रतिवेदन।

(iii) सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों संबंधी समिति, राज्य सभा का 158वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

13.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

13.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

13.6 कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से पैदा हुई तत्कालिक आवशयकताओं को पूरा करने के लिए 01 अप्रैल, 2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों को देय वेतन में 30 प्रतिशत कटौती की गई है। मंत्रिमंडल के उपरोक्त निर्णय को लागू करने के उद्देश्य से 07 अप्रैल, 2020 को 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020' (2020 का संख्या 3) प्रख्यापित किया गया था। उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए दिनांक 14.09.2020 को लोक सभा में 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020' पुर:स्थापित किया गया था जिसे लोक सभा द्वारा दिनांक 15.09.2020 को पारित किया गया था। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा दिनांक 18.09.2020 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 24.09.2020 को उसे 2020 के अधिनियम संख्या 19 के रूप में मंजूरी दी गई थी। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिश पर दिनांक 01.04.2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि तक निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते और कार्यालय व्यय भत्ते (केवल लेखन सामग्री व्यय का भाग) में भी 30 प्रतिशत कटौती की गई है।

13.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-13** और **परिशिष्ट-14** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.8 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 241वां, 242वां और 243वां प्रतिवेदन।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

13.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में अभिविन्यास पाठ्यक्रम

13.11 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य का बेहतर निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। संसदीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1985 से विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, इन पाठ्यक्रमों का संचालन संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

13.12 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

13.13 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

13.14 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

13.15 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

13.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री बैद्यनाथ महतो, संसद सदस्य (लो.स.) ज.द.(यू.) के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई, जिनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिनांक 28.02.2020 को देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को दिनांक 29.02.2020 को पटना, बिहार भेजा गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

13.17 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

13.18 मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2020 को संसद सदस्यों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

13.19 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

13.20 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई/बैठक की अध्यक्षता की गई	विषय	स्थान
1.	30.01.2020	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली
2.	04.12.2020	माननीय प्रधानमंत्री	कोविड-19 की स्थिति / टीके की प्रगति	आभासी माध्यम से

अनुसंधान कार्य

13.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक के लिए सामग्री की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

13.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका को तैयार करता है और मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतित करता है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

13.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।

13.24 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है।

बजट की स्थिति

13.25 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2020-21		संशोधित अनुमान 2020-21		बजट अनुमान 2021-22		वास्तविक व्यय 2020-21 (7.1.2021 तक)	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00 - स्थापना								
	13.00.01 - वेतन	--	127700	--	130600	--	134900	--	109030
	13.00.03 - समयोपरि भत्ता	--	200	--	150	--	200	--	100
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	--	1300	--	6000	--	4000	--	4100
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	--	4000	--	3500	--	3500	--	2235
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	--	25000	--	1000	--	20000	-	--
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	--	17000	--	17000	--	17000	--	14149
	13.00.16 - प्रकाशन	--	1000	--	900	--	1000	--	805
	13.00.20 - अन्य प्रशासनिक व्यय	--	9000	--	2000	--	7000	--	542
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	200	--	--	--	200	--	--
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	2300	--	3150	--	2500	--	2300
	13.00.50 - अन्य प्रभार	--	16500	--	4000	--	8000	--	2581
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.31 सहायता अनुदान सामान्य	--	--	--	--	--	400000	--	--
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.50 -अन्य प्रभार	--	1000	--	600	--	1000	--	454
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.13 - कार्यालय व्यय	--	10500	--	25500	--	50400	--	887
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	500	--	--	--	500	--	--
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	500	--	--	--	500	--	--

	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.31 - सहायता अनुदान सामान्य	--	288500	--	240000	--	--	--	86734
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**--**	**505200**	**--**	**434400**	**--**	**650700**	**--**	**223917**

13.26 वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2020-21 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

13.27 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांगजनों के लाभ के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

13.28 संसदीय कार्य मंत्रालय में 16 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा, 2020 का आयोजन किया जाना था। मंत्रालय ने पखवाड़ा आयोजन के लिए गतिविधियों की एक कार्य योजना/सूची भी तैयार की थी परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण उक्त पखवाड़े का आयोजन नहीं किया जा सका।

संविधान दिवस समारोह

13.29 मंत्रालय ने 26 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2020 तक नागरिक कर्तव्यों पर साल भर की गतिविधियों की सूची/कार्यकलापों का कैलेंडर तैयार किया था। मंत्रालय द्वारा सात (7) गतिविधियों की योजना बनाई गई थी। गतिविधियों संबंधी विवरण न्याय विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था। मंत्रालय में, भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस, 2020 मनाया गया। इस अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। संविधान की प्रस्तावना के पठन के बाद मौलिक कर्तव्यों और स्वच्छता पर एक आत्म-प्रतिज्ञा भी की गई। पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक "मौलिक सिद्धांत और संविधान मूल्य - विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक इंटरफ़ेस" पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था जिसमें सभी भाग ले सकते थे। संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी इस वेबिनार में शामिल हुए थे। इस अवसर पर डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय वक्ता थे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 31.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
				लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा	
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1.	2	3	4	5	6
सत्रहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र और राज्य सभा का 251वां सत्र					
कोयला मंत्रालय					
1.	खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020	02.03.2020 लो.स.	06.03.2020	12.03.2020	13.03.2020 2020 का 2
वित्त मंत्रालय					
2.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020	12.12.2019 लो.स.	06.03.2020	12.03.2020	13.03.2020 2020 का 1
3.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020	05.02.2020 लो.स.	04.03.2020	13.03.2020	17.03.2020 2020 का 3
4.	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020	18.03.2020 लो.स.	18.03.2020	23.03.2020	25.03.2020 2020 का 8
5.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020	18.03.2020 लो.स.	18.03.2020	23.03.2020	25.03.2020 2020 का 9
6.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020	18.03.2020 लो.स.	18.03.2020	23.03.2020	25.03.2020 2020 का 10
7.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020	18.03.2020 लो.स.	18.03.2020	23.03.2020	25.03.2020 2020 का 11
8.	विनियोग विधेयक, 2020	16.03.2020 लो.स.	16.03.2020	23.03.2020	25.03.2020 2020 का 6
9.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020	18.03.2020 लो.स.	18.03.2020	23.03.2020	25.03.2020 2020 का 7
10.	वित्त विधेयक, 2020	01.02.2020 लो.स.	23.03.2020	23.03.2020	27.03.2020 2020 का 12
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
11.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	11.12.2019 लो.स.	12.12.2019	16.03.2020	25.03.2020 2020 का 5
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
12.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020	09.01.2019 रा.स.	11.02.2020	12.12.2019 ∗11.03.2020	19.03.2020 2020 का 4

सत्रहवीं लोक सभा का चौथा सत्र और राज्य सभा का 252वां सत्र					
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय					
1.	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020	14.09.2020 लो.स.	17.09.2020	20.09.2020	24.09.2020 2020 का 21
2.	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020	14.09.2020 रा.स.	17.09.2020	20.09.2020	24.09.2020 2020 का 20
आयुष मंत्रालय					
3.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020	07.01.2019 रा.स.	14.09.2020	18.03.2020	20.09.2020 2020 का 14
4.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020	07.01.2019 रा.स.	14.09.2020	18.03.2020	20.09.2020 2020 का 15
5.	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 रा.स.	21.09.2020	18.09.2020	25.09.2020 2020 का 25
नागर विमानन मंत्रालय					
6.	वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020	04.02.2020 लो.स.	17.03.2020	15.09.2020	19.09.2020 2020 का 13
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
7.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020	15.09.2020 रा.स.	21.09.2020	19.09.2020	23.09.2020 2020 का 17
8.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020	17.03.2020 लो.स.	19.09.2020	22.09.2020	28.09.2020 2020 का 29
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
9.	आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 लो.स.	15.09.2020	22.09.2020	26.09.2020 2020 का 22
वित्त मंत्रालय					
10.	कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों में छूट और संशोधन) विधेयक, 2020	18.09.2020 लो.स.	19.09.2020	22.09.2020	29.09.2020 2020 का 38
11.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 लो.स.	16.09.2020	22.09.2020	29.09.2020 2020 का 39
12.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020	18.09.2020 लो.स.	18.09.2020	23.09.2020	25.09.2020 2020 का 27
13.	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020	18.09.2020 लो.स.	18.09.2020	23.09.2020	25.09.2020 2020 का 26
14.	अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020	14.09.2020 लो.स.	20.09.2020	23.09.2020	28.09.2020 2020 का 30

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
15.	आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020	10.02.2020 लो.स.	19.03.2020	16.09.2020	21.09.2020 2020 का 16
16.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 रा.स.	21.09.2020	18.09.2020	25.09.2020 2020 का 24
17.	महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 रा.स.	21.09.2020	19.09.2020	28.09.2020 2020 का 34
गृह मंत्रालय					
18.	मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 रा.स.	20.09.2020	18.09.2020	23.09.2020 2020 का 18
19.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	23.03.2020 लो.स.	20.09.2020	22.09.2020	28.09.2020 2020 का 31
20.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	23.03.2020 लो.स.	20.09.2020	22.09.2020	28.09.2020 2020 का 32
21.	विदेश अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020	20.09.2020	21.09.2020	23.09.2020	28.09.2020 2020 का 33
22.	जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020	22.09.2020 लो.स.	22.09.2020	23.09.2020	26.09.2020 2020 का 23
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विधि संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020	04.03.2020 लो.स.	20.03.2020	22.09.2020	28.09.2020 2020 का 28
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
24.	उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020	19.09.2020 लो.स.	22.09.2020	23.09.2020	28.09.2020 2020 का 37
25.	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	19.09.2020 लो.स.	22.09.2020	23.09.2020	28.09.2020 2020 का 35
26.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	19.09.2020 लो.स.	22.09.2020	23.09.2020	28.09.2020 2020 का 36
संसदीय कार्य मंत्रालय					
27.	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020	14.09.2020 लो.स.	15.09.2020	18.09.2020	24.09.2020 2020 का 19

* संशोधनों से सहमत होना।

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

17वीं लोक सभा के चौथे सत्र और राज्य सभा के 252वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

1. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
2. समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2019
3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
4. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020
5. फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

II. संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक

6. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

<u>राज्य सभा</u>

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
2. बांध संरक्षा विधेयक, 2019
3. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
4. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020

II. लोक सभा द्वारा यथा पारित और प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

5. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

III. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

6. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
7. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
8. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
9. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
10. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020
11. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख आयोग विधेयक, 2020

IV. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

12. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
13. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
14. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
15. बीज विधेयक, 2004
16. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
17. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
18. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
19. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
20. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
21. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
22. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
23. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
24. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
25. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
26. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
27. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019
28. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
29. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
30. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

परिशिष्ट - 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
केंद्रीय बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2020	02	40	01.02.2020	--	--
2.	वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	06.02.2020 10.02.2020 11.02.2020	11	51	10.02.2020 11.02.2020	11	36
3.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	12.03.2020 13.03.2020	12	31	#	#	#
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	13.03.2020 16.03.2020	05	21	#	#	#
5.	पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	16.03.2020	04	01	#	#	#
6.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2020-21 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) कृषि और किसान कल्याण (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) नागर विमानन (6) कोयला (7) वाणिज्य और उद्योग (8) संचार (9) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (10) कारपोरेट कार्य (11) संस्कृति (12) रक्षा (13) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (14) पृथ्वी-विज्ञान (15) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (16) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (17) विदेश (18) वित्त (19) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (21) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (22) भारी उद्योग और लोक उद्यम (23) गृह	16.03.2020	--	07	#	#	#

	(24) आवास और शहरी कार्य (25) मानव संसाधन विकास (26) सूचना और प्रसारण (27) जल शक्ति (28) श्रम और रोजगार (29) विधि और न्याय (30) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (31) खान (32) अल्पसंख्यक कार्य (33) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (34) पंचायती राज (35) संसदीय कार्य (36) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (37) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (38) योजना (39) विद्युत (40) लोक सभा (41) राज्य सभा (42) उप राष्ट्रपति सचिवालय (43) सड़क परिवहन और राजमार्ग (44) ग्रामीण विकास (45) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (46) पोत परिवहन (47) कौशल विकास और उद्यमिता (48) अंतरिक्ष विभाग (49) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (50) इस्पात (51) वस्त्र (52) जनजातीय कार्य (53) महिला और बाल विकास (54) युवा कार्य और खेल।						
7.	1. वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें - दूसरा भाग 2. वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019 तक) के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें; 3. वर्ष 2019-20 (31 अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगें; 4. वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगें; 5. वर्ष 2019-20 (31 अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगें;	18.03.2020	06	39	#	#	#

8.	वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (2020-21 का पहला भाग) वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें	14.09.2020 18.09.2020	04	38	#	#	#

टिप्पणी: #राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप**	**चर्चा की तारीख**	**परिणाम**	**लिया गया समय**	
				घंटे	**मिनट**
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20

7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

31.1.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

गैर सरकारी सदस्यों का कोई विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया गया।

राज्य सभा

(1) राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद विधेयक, 2019 श्री महेश पोद्दार द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(2) शरणार्थी और शरणस्थल विधेयक, 2019 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(3) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(4) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2020 सुश्री सरोज पाण्डेय द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(5) नौकरी से निकाले गए कर्मचारी (कल्याण) विधेयक, 2020 श्री राकेश सिन्हा द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(6) राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020 डा. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (नए अनुच्छेद 47क का अंतर्वेशन) श्री अनिल देसाई द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(8) कारखानों में पशुओं का पालन (विनियमन) विधेयक, 2020 डा. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(9) पीड़ित और साक्षी संरक्षण तथा सहायता विधेयक, 2020 डा. अमी याज्ञिक द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(10) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 डा. अमर पटनायक द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(11) कौटुम्बिक व्यभिचार संबंधी अपराध और परिवार के भीतर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार (निवारण) विधेयक, 2020 डा. सस्मित पात्रा द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(12) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 331 और 333 का प्रतिस्थापन) डा. सस्मित पात्रा द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(13) तीसरी भाषा विधेयक, 2020 श्रीमती शांता क्षत्री द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(14) युवाओं में आत्महत्या का निवारण विधेयक, 2020 श्री अमर शंकर साबले द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(15) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2020 श्री अमर शंकर साबले द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(16) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 सुश्री सरोज पाण्डेय द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(17) लोक स्वास्थ्य (महामारियों का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2020 श्री संजय सिंह द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

परिशिष्ट - 7

(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्‌देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. <u>बैठकें</u>

<u>बैठकों की संख्या</u>

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

<u>दिल्ली से बाहर बैठकें</u>

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

<u>बैठक की तारीख</u>

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

<u>अवधि</u>

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

<u>बैठक के लिए सूचना</u>

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

<u>गणपूर्ति (कोरम)</u>

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. <u>कार्यसूची</u>

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. <u>सिफारिशें</u>

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

क्र.सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर मोबाइल/टेलीफोन तथा फैक्स नंबर

(क) दिल्ली का पता:..
....

(ख) स्थायी पता:..
....

(ग) ईमेल आईडी:

सेवा में

उपर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
कमरा नं.92, संसद भवन,
नई दिल्ली।
टेलीफोन नंबर : 011-23034761
फैक्स नंबर : 011-23034744
011-23017557
ई-मेल आईडी : anil.kumar.mopa@nic.in

परिशिष्ट - 8
(देखें पैरा 8.4)

<u>17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची</u>

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
3.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
4.	नागर विमानन मंत्रालय
5.	कोयला और खान मंत्रालय
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
7.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
9.	रक्षा मंत्रालय
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
11.	इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय
12.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13.	विदेश मंत्रालय
14.	वित्त मंत्रालय
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
18.	गृह मंत्रालय
19.	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
20.	शिक्षा मंत्रालय
21.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
22.	जल शक्ति मंत्रालय
23.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
24.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
25.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
26.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
27.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
28.	रेल मंत्रालय
29.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

30.	ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
31.	पोत परिवहन मंत्रालय
32.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
33.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
34.	इस्पात मंत्रालय
35.	वस्त्र मंत्रालय
36.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
37.	महिला और बाल विकास मंत्रालय
38.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट - 9

(देखें पैरा 8.5)

वर्ष 2020 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	7.2.2020
चर्चा किए गए विषय	प्रधान मंत्री-किसान (प्रधान मंत्री-किसान सम्मान निधि)
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	19.3.2020
चर्चा किए गए विषय	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रदर्शन
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	7.1.2020
चर्चा किए गए विषय	एयर इंडिया का विनिवेश
कोयला और खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	10.2.2020 और 14.12.2020
चर्चा किए गए विषय	(i) कोयला खदानों की सुरक्षा और संरक्षा (ii) कोयला खदानों के लिए प्रथम माइल कनेक्टिविटी
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	28.12.2020
चर्चा किए गए विषय	आर्द्रभूमि का संरक्षण और सुरक्षा
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	18.1.2020
चर्चा किए गए विषय	भारत की पहली पड़ोस नीति
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	6.1.2020
चर्चा किए गए विषय	बजट पूर्व सुझाव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	19.3.2020 और 28.12.2020
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आशुषमान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	30.1.2020
चर्चा किए गए विषय	आपदा प्रबंधन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	22.12.2020
चर्चा किए गए विषय	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	15.12.2020
चर्चा किए गए विषय	(i) मर्चेंट शिपिंग विधेयक (ii) अंतर्देशीय पोत विधेयक
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	4.3.2020 और 13.3.2020
चर्चा किए गए विषय	वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाना (विद्युत मंत्रालय से संबंधित) प्रधान मंत्री-कुसुम योजना (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित)
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	24.2.2020
चर्चा किए गए विषय	इस्पात क्षेत्र विकास
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	27.1.2020
चर्चा किए गए विषय	नई वस्त्र नीति
पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	17.3.2020
चर्चा किए गए विषय	पर्यटन क्षेत्र की वैश्विक बेंचमार्किंग और मेलों और त्यौहारों जैसी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में सुधार के अतिरिक्त ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे का प्रचार/विकास

जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	22.1.2020 और 23.12.2020
चर्चा किए गए विषय	जनजातीय क्षेत्रों में आनुवंशिक स्वास्थ्य मुद्दे, संविधान के अनुसार जनजातीय क्षेत्र शासन और राज्यों की भूमिका
जल शक्ति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	7.1.2020
चर्चा किए गए विषय	जल जीवन मिशन
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	26.2.2020
चर्चा किए गए विषय	महिला और कौशल एजेंडा

परिशिष्ट - 10

(देखें पैरा 11.8)

1 से 14 सितंबर, 2020 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री प्रद्योत बेपारी, अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
		3	श्री राहुल आर्य, सलाहकार/सहायक	तृतीय
		4	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
		5	श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री प्रद्योत बेपारी, अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
		3	श्री प्रविंदर खत्री, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
		4.	श्री बेजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
3.	गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री संजीत कुमार दास, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री प्रद्योत बेपारी, अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
		3	श्री ए.एन. बालचंद्रन नायर, सलाहकार/सहायक	द्‌वितीय
		4	श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	तृतीय
		5	श्री जोगेंद्र नाथ नायक, निजी सहायक	तृतीय
4.	बहुकार्य स्टाफ के लिए हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री पवन कुमार, एम.टी.एस.	प्रथम
		2	सुश्री अनामिका सिंह, एम.टी.एस.	प्रथम
		3	श्री कमल किशोर, एम.टी.एस.	द्‌वितीय
		4	श्री विपिन कटारिया, सवार हरकारा	द्‌वितीय
		5	श्री नरेश कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय
		6	श्री आनंद कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय
		7	श्री राजेश मीणा, एम.टी.एस.	विशेष

मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1.	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	प्रथम
2.	श्री जय नारायण, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
3.	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
4.	श्री राहुल आर्य, सलाहकार/सहायक	द्‌वितीय
5.	श्री बैजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
6.	श्री साधु राम, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
7.	श्री भवान सिंह, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
8.	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय

परिशिष्ट - 11
(देखें पैरा 13.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) (पीएमएजीवाई)	श्री विष्णु दयाल राम श्री छेदी पासवान	डा. सुधांशू त्रिवेदी	14.07.2020
2.	उर्दू भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय परिषद	श्री जगदंबिका पाल श्री हंस राज हंस	श्री मुज़िबुल्ला खान	16.07.2020
3.	अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन समिति	श्री विनोद छावडा	श्री राम कुमार वर्मा	14.07.2020
4.	केंद्रीय वक्फ़ परिषद (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	चौधरी मेहबूब अली कैसर मोहम्मद सादिक	श्री ए. मोहम्मदजान	14.07.2020
5.	खनिज सलाहकार परिषद (एमएसी)	श्री संजय सेठ	श्री के.सी. रामामूर्ति	14.07.2020
6.	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	श्री उदय प्रताप सिंह श्री विनोद चावडा	श्री राम विचार नेताम	15.07.2020

परिशिष्ट - 12

(देखें पैरा 13.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (हि.स.स.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है**	**नामांकित संसद सदस्यों के नाम**		**नामांकन की तारीख**
		लोक सभा	**राज्य सभा**	
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री मनोज किशोर भाई कोटक श्री राज बहादुर सिंह	श्री भुवनेश्वर कलिता श्री बशिष्ट नारायण सिंह	15.07.2020
2.	वित्त मंत्रालय	श्री पी. रविंदर नाथ ठाकुर श्री अर्जुन कुमार सागर	श्री राजीव चंद्रशेखर श्री दीपक प्रकाश	14.07.2020
3.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	श्री जामयांग नामग्याल त्सेरिंग श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या	श्री श्वेत मलिक श्री बी. लिंग्याह यादव	16.07.2020
4.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्रीमती अपराजिता सारंगी श्री सतीश गौतम	श्री शमशेर सिंह मनहास श्रीमती फूलो देवी नेताम	14.07.2020
5.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्री गोपाल छिनय्या शेट्टी श्री अशोक कुमार यादव	श्री दुष्यंत गौतम श्री उदयनराजे भौंसले	14.07.2020
6.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री मनोज राजोरिया श्री भारत राम मारगनी	श्री नरहरी अमीन श्रीमती ममता मोहंता	15.07.2020
7.	खान मंत्रालय	श्री पषुपति नाथ सिंह श्री गुहाराम अजगल्ले	श्री शिव प्रताप शुक्ल श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा	14.07.2020
8.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	श्री अजय निशाष श्री रवनीत सिंह	श्री अभय भारद्वाज श्रीमती अर्पिता घोष	14.07.2020
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	डा. रामपति राम त्रिपाठी श्री राजीव रंजन सिंह	सुश्री इंदु बाला गोस्वामी श्री अशोक सिद्धार्थ	15.07.2020
10.	रक्षा मंत्रालय	श्री राम चरण वोहरा प्रो. (डा.) राम शंकर कटारिया	श्री सुरेश गोपी श्री संभाजी छत्रपति	14.07.2020
11.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	श्रीमती श्रदाबेन पटेल श्रीमती क्वीन ओझा	श्री राम चंदर जांगरा श्री रेवती रमन सिंह	15.07.2020

12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्रीमती पूनमबेन हिमतभाई माडम श्री अरविंद गणपत सावंत	श्री राजिंदर गहलोत श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली	15.07.2020
13.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्रीमती हिमाद्री सिंह श्री एस. मुनिस्वामी	श्री दीपेंदर सिंह हुड्डा श्री सुमेर सिंह सोलंकी	16.07.2020
14.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	श्री परबतभाई सवाभाई पटेल श्री अर्जुन लाल मीणा	श्री इरण्ण कडाडि श्री नीरज डांगी	14.07.2020

परिशिष्ट - 13

(देखें पैरा 13.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**मद**	**वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं**
1.	वेतन	रूपये *1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) *(कोरोना वायरस (कोविड-19 महामारी) से पैदा हुई तत्कालिक आवशयकताओं को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों को देय वेतन में 30 प्रतिशत कटौती की गई है।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये *70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये *20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इन भत्तों में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) *(कोरोना वायरस (कोविड-19 महामारी) से पैदा हुई तत्कालिक आवशयकताओं को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते और कार्यालय व्यय भत्ते (केवल लेखन सामग्री व्यय का भाग) में 30 प्रतिशत कटौती की गई है।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक कॉल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी।

		जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं तो जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों को लगाने और उनका किराया सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड एफ.टी.टी.एच. का लाभ भी उठा सकता है कि बशर्ते इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (होस्टल आवास सहित)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,00,000/- (रूपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)

		प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से उस ब्याज दर पर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, रूपये 4,00,000/- जिसे अधिकतम 5 वर्ष या सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के भीतर वापिस लिया जाएगा।
9.	यात्रा भत्ता	**रेल:** यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। **वायुयान**: एक यात्री भाड़े के बराबर राशि। इसके अलावा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **स्टीमर** : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक यात्री भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)। **सड़क** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों तो सड़क यात्रा भत्ता। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित +

		अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
10.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।

11.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय किया जाता है तो रू.16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी जाती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा की राशि, जो भी कम हो, के हकदार हैं।
12.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) उस सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट - 14

(देखें पैरा 13.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्ष से अधिक संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कॉल, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उसमें अधिक की गई खपत को समायोजित करने की अनुमति होगी।